

राजस्थान सरकार (590)
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नविधि/3/2010 पार्ट-IV

जयपुर दिनांक 22/11/16

आदेश

टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के बिन्दु सं. 5.03 की टिप्पणी (iii) के अनुसार 2 हैक्टर से अधिक क्षेत्रफल की आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र संबंधित नगरीय निकाय के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किये जाने व 2 हैक्टर से कम क्षेत्रफल की आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) एकल पट्टा प्रकरणों में 5 प्रतिशत भूमि के बराबर क्षेत्रफल का आरक्षित दर पर राशि संबंधित नगरीय निकाय में जमा करवाये जाने का प्रावधान है। आदेश दिनांक 26.08.2015 व 11.03.2016 के द्वारा उपरोक्त प्रावधान सभी उपयोग के एकल पट्टा प्रकरणों में लागू किये गये हैं।

विभिन्न न्यासों/प्राधिकरणों में 2 हैक्टर से कम क्षेत्रफल के एकल पट्टा प्रकरणों भी आरक्षित दर से राशि जमा कराये जाने के स्थान पर 5 प्रतिशत भूमि सुविधाओं हेतु निःशुल्क छोड़े जाने के प्रस्ताव विकासकर्ताओं/आवेदकों से प्राप्त हो रहे हैं।

इस संबंध में सक्षम स्तर पर निर्णय लिया गया है कि यदि कोई विकासकर्ता/आवेदक 2 हैक्टर से कम क्षेत्रफल की एकल पट्टा प्रकरण में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के बराबर भूमि की आरक्षित दर से राशि जमा कराये जाने के स्थान पर भूमि समर्पित करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकेगा। न्यास/प्राधिकरण ऐसी भूमि का आवश्यकतानुसार राजकीय डिस्पेन्सरी और स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस चौकी/पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, वाक्मालय, सामुदायिक केन्द्र, पानी की टंकी, विद्युत सब-स्टेशन आदि सार्वजनिक सुविधाएँ विकसित किये जाने हेतु उपयोग कर सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

(211)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम